Quest Journals
Journal of Research in Humanities and Social Science
Volume 11 ~ Issue 8 (2023) pp: 427-430
ISSN(Online):2321-9467
www.questjournals.org

Research Paper

आजादी से पूर्व बिहार में दलित राजनीति की दशा एवं दिशा

शैलेन्द्र कुमार
शोध छात्र, राजनीति शास्त्र विभाग, बी. एन. एम. यू. मधेपुरा, बिहार

सार

दलितों को 1935 से लेकर 1950 काल में एक ही साथ दो स्थानों पर संघर्षपूर्ण लड़ाई लड़नी पड़ी, एक तरफ सवर्णों द्वारा पोषित रूढ़िवादी भारतीय परम्परा जैसे छुआछूत, दुर्व्यवहार, भेद–भाव, अस्पृश्यता, ब्राह्याडम्बर, उँच–नीच तथा अमानवीय कार्यों के विरुद्ध और दूसरी ओर औपनिवेशिक शासन व्यवस्था के विरुद्ध। इस लड़ाई को जीतने के लिए उनके पास उपाय क्या थे, तथा किस प्रकार उसमें सफलता प्राप्त किए इसकी हम विवेचना करेंगे। तृतीय बिहार राज्य किसान सभा 26 नवम्बर, 1935 को हाजीपुर में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। सम्मेलन में जमींदारी प्रथा को हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। किसान सभा के सक्रियतावादियों ने दलितों और रैयतों के शोषण को कम करने के कार्यों में तीव्रता लाने का प्रयास किया। प्राचीन काल से ही अछूत, दलित, पीड़ित अपने उपर समाज द्वारा लादी गयी कुव्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाते रहे। समय–समय पर इनमें सुधार होते रहे किन्तु वृहद् पैमाने पर इनकी संघर्षपूर्ण आवाज 20वीं शताब्दी के दूसरे चरण से उठने लगी तथा इस समय इन्हें महात्मा गाँधी एवं अम्बेदकर का कुशल नेतृत्व भी मिला।

विस्तार

अनेक सामाजिक संगठनों, सुधारवादियों, उदारवादियों, समाजवादियों, इतिहासविदों, राजनीतिज्ञों, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं एवं सवर्णो ने भी अछूतों एवं दलितोत्थान के कार्य में अवर्णनीय सहयोग दिया। 1935–36 में कांग्रेस ने निर्वाचन पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। इसके अतिरिक्त कांग्रेस जन विभिन्न रचनात्मक कार्यों में भी लगे रहे। महात्मा गाँधी के नेतृत्व में अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ की स्थापना की गई, तथा अखिल भारतीय चर्खा संघ कई स्थानों पर कार्यरत हो गई। ग्रामीण जनता के हित में रात्रि पाठशाला, ग्राम पुस्तकालय, दातव्य औषधालय, आटा चक्की और दुकानें अनेक स्थानों पर खोली गईं। बिहार थाना में जुलाई 1935 में तथा कुछ अन्य स्थानों पर खजूर का गुड़ बनाना शुरु किया गया। कई स्थानों पर कपास के बीज किसानों में वितरित किए गए (गया जिलान्तर्गत दाउदनगर तथा शाहाबाद जिलान्तर्गत जगदीशपुर इलाके में जुलाई–अगस्त, 1935) सितम्बर 1935 में औरंगाबाद अनुमंडल ग्राम उद्योग संघ के प्रयत्न से एक जमींदार ने दातव्य औषधालय, कताई स्कूल और एक पुस्तकालय खोलने के हेतु दस बीघा जमीन दी जिससे दलित समेत अन्य लोगों को लाभ मिल सके। लगभग उसी समय दानापुर अनुमंडल में एक गाँव हरदी छपरा में ग्राम सुधार सभा की स्थापना हुई। देवघर में पंडित विनोदानंद झा कुछ पुराने उद्योग धंधे को फिर से चालू करने का प्रयत्न कर रहे थे और दलितों द्वारा तैयार किए गए वस्त्रों की बिक्री के लिए मीना बाजार मुहल्ला में एक दुकान भी खोला। नवम्बर 1935 में अनुग्रह बाबू, मथुरा प्रसाद और सत्यनारायण ने छपरा में रीवेल गंज का दौरा किया जिसका उद्देश्य ग्राम उद्योग का एक प्रशाखा खोलना था। पटना जिला कांग्रेस समिति की बैठक 22 अक्टूबर, 1935 को हुई जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का निर्णय विक्रम और हिलसा के आश्रम में किया गया इसका उद्देश्य अछूतों और पद्दलितों का कल्याण था। बख्तियारपुर के आश्रम में उत्सवों का उद्घाटन अनुग्रह नारायण सिन्हा ने किया। इस आश्रम का श्रेय शीलभे रमा जी को है जिन्होंने दलितों के विकास के लिए बहुत से कार्य किए।

बिहार के विभिन्न जिलों में राजनैतिक सभाएँ आयोजित की गईं जिसमें दलितोत्थान के कार्यक्रमों एवं किसान आन्दोलन को नेताओं द्वारा बल दिया गया। जे. पी. सी. विरोध दिवस (7 अप्रैल, 1935) और दलित दिवस (24 सितम्बर, 1935) बिहार के राजनैतिक सक्रियतावादियों और कांग्रेस नेताओं द्वारा मनाया गया। बिहार के विभिन्न जिलों में पूरी तैयारी के साथ जिला राजनैतिक सम्मेलन आयोजित किए गए। पटना जिला राजनैतिक सम्मेलन नवम्बर, 1935 में तथा पूर्णियाँ जिला राजनितिक सम्मेलन 9 नवम्बर, 1935 को सम्पन्न हुआ। 23 नवम्बर, 1935 को मुंगेर जिला के बेगूसराय में आयोजित हुई जिसमें दलितों ने भाग लिया। 10 जनवरी, 1936 के तीसरे सप्ताह में गोड्डा अनुमंडल के रजौन में इसी प्रकार की राजनितिक बैठक आयोजित हुई जिसमें दलितों के उत्थान को तीव्रतर बनाने के लिए सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुए। हजारीबाग जिले के चतरा में एक राजनैतिक सभा 15–16 जनवरी, 1936 को हुई जिसमें दलितोत्थान के कार्य पर प्रकाश डाला गया।

*Corresponding Author: शैलेन्द्र कुमार

छः वर्षों तक सरकारी प्रतिबंध के पश्चात् बिहार राजनैतिक सम्मेलन का 19वाँ अधिवेशन पटना में 15–16 जनवरी, 1936 को पूर्ण उत्साह के वातावरण में सम्पन्न हुआ। प्रान्त भर में करीब 5000 प्रतिनिधि, दलित, अछूत, किसान और संथाल समेत सम्मिलित हुए। सम्मेलन के अध्यक्ष श्री रामदयालु साह ने कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रमों को विशेष कर दलितोत्थान पर अपने भाषण में बल दिया। राजेन्द्र बाबू ने अपने भाषण में रचनात्मक कार्यक्रम चलाते रहने की आवश्यकता पर बल दिया।

1936 ई0 में किसान सभा के कार्यों को काफी जोश खरोश के साथ गया, पटना और शाहाबाद जिला में किया गया। घोसी, अरवल, बेलागंज, मखदुमपुर और टिकारी थाना के रैयतों तथा पटना और शाहाबाद के ग्रामीणों तथा दलितों से स्वामी सहजानंद तथा अन्य सक्रियतावादियों ने सम्पर्क स्थापित किया। उनलोगों ने दलितों और रैयतों के शोषण के मामले को प्रकाश में लाया। 7–8 नवम्बर, 1936 को राज्य किसान सभा भागलपुर जिला के बीहपुर में मिली जो दलितों के कल्याण का प्रमुख केद्र था। इस बैठक में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया जिसमें रैयतों के खेतों को पुनः प्राप्त करने के लिए सरकार से अपील की गई। बिहार विधान सभा के लिए 22 से 27 जनवरी, 1937 के मध्य मतदान सम्पन्न हुए। बिहार में 1935 में नियमित पिछड़ा वर्ग संघ ने कांग्रेस के सहयोग से चुनाव लड़ा। त्रिवेणी संघ नामक पार्टी जो इसी समय प्रकट हुई, मुख्यतः ग्वाला, कुर्मी और कोईरी मतदाताओं के समर्थन पर निर्भर करती थी। जिन इलाकों में इन जातियों की संख्या अच्छी थी, उसने अपने प्रत्याशी खड़ा किए। चुनाव परिणाम में कांग्रेस पार्टी को भारी विजयश्री मिली थी। वस्तुतः कांग्रेस पार्टी ही एक मात्र अनुशासित पार्टी थी और उसके कार्यक्रम से जनता वास्तव में प्रभावित थी। 152 जगहों में कांग्रेस ने 107 के लिए प्रत्याशी खड़ा किया। इनमें 98 प्रत्याशी विजयी हुए अर्थात् कुल जगहों का 65 प्रतिशत और जिन जगहों के लिए प्रत्याशी खड़े किए गए उनका 92 प्रतिशत। आम नागरिक निर्वाचन मंडलों में कांग्रेस ने सभी 5 जगहें जीत लीं और ग्रामीण निर्वाचन मंडलों में 73 में 68 अनुसूचित जातियों के 15 निर्वाचन मंडलों में 14 प्रत्याशी जीते तथा 7 निर्वाचन मंडलों में एक को छोड़कर सभी स्थानों पर कांग्रेस विजयी रही। इस प्रकार कांग्रेस के दोनों सदनों को मिलकार सम्मिलित रूप से पूर्ण बहुमत हो गया। बिहार में कांग्रेस मंत्रिमण्डल बनने से पूर्व 6 से 13 अप्रैल, 1937 के मध्य, राज्य में अनेक स्थानों पर राष्ट्रीय दिवस मनाए गए जिसमें दलित स्वयंसेवकों और सक्रियतावादी लोग भी संलग्न थे। यह सप्ताह खादी के बिक्री, कांग्रेस स्वयं सेवकों के नामांकन तथा सार्वजनिक सभाओं के लिए विशेष उल्लेखनीय है। इस सप्ताह में दलितों और पिछड़े वर्गों के सामाजिक और आर्थिक दिशा के विकास पर अधिक ध्यान दिया गया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की एक सभा 12 अप्रैल को पटना सिटी में हुई। उसमें कांग्रेस के वामपंथी पार्टी के रूप में तथा दलितों और किसानों के आर्थिक शोषण के निवारण के लिए विचार–विमर्श हुआ। पुनः 22 से 25 अप्रैल, 1937 को इसने बाँकीपुर के अंजुमन इस्लामिया हॉल में भाषण माला प्रस्तुत की तथा दलित और पिछड़े वर्ग की दशा को सुधारने पर व्याख्यान दिया। मई 1937 के प्रथम सप्ताह में गया जिला राजनैतिक सभा वजीरगंज में हुई।

राजोबल, रामनारायण साह और गौरी शंकर शरण साह जैसे कांग्रेसी नेताओं ने जमीन्दारी प्रथा उन्मूलन की अनुशंसा की जिससे किसानों तथा दलितों के आर्थिक शोषण का निराकरण हो सके। चम्पारण जिला राजनैतिक सभा ढाका में सम्पन्न हुआ। राजेन्द्र बाबू के परामर्श के अन्तर्गत कुछ कार्यकर्ताओं ने दलित कल्याण समेत कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों को विकसित करने के लिए लगाया। छटौना, दरभंगा के रामलखन साह ने एक ग्राम सेवा आश्रम की स्थापना रूगर घाट में, जो समस्तीपुर के पूर्व में स्थित है। यह आश्रम दलित और पिछड़े वर्गों के उत्थान का प्रमुख केन्द्र हो गया। इसका लक्ष्य रचनात्मक कार्यों का कार्यान्वयन था।

5 से 7 मई तक पटना के सदाकत आश्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ। इस अवसर पर राजेन्द्र बाबू और कुछ अन्य कांग्रेस कर्मियों के नेतृत्व में निर्णय किया गया कि मध्य और हाई स्कूल स्तर के कुछ राष्ट्रीय स्कूल बिहार विद्यापीठ के अन्तर्गत खोले जायें। इन विद्यालयों का उद्देश्य अछूत और अन्य पद्दलित वर्ग के लोगों को शिक्षा प्रदान करना था।

अनेक बाधाओं के बावजूद बिहार मंत्रिमंडल ने कई सुधारात्मक कदम उठाये और दलितों तथा पिछड़े लोगों के लिये कुछ सुधारात्मक कानून लागू करने की चेष्टा की। बिहार सेफटी ऐक्ट के अन्तर्गत नजरबंद या निष्कासित पदभार ग्रहण करने के तीस दिन के भीतर ही नागरिकों को आजादी दे दी गई। इनकी संख्या सत्ताईस थी। पिछड़े वर्गों और दलित समेत सभी लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को विकसित करने के लिए मंत्रि–परिषद् के व्यवस्थापिका और कार्यपालिका सम्बन्धी काननू पारित किये। इन सभी कार्रवाईयों में कांग्रेस चुनाव घोषणा–पत्र में उल्लिखित सिद्धान्त समाविष्ट थे। इस घोषणा–पत्र ने अस्पृश्यता निवारण पर अधिक बल दिया जिससे दलित और पिछड़ी जातियों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान हो सके। इस घोषणा–पत्र में सबों को समान नागरिक तथा दीवानी मामलों में समान अधिकार की चर्चा थी।

मंत्रिमण्डल ने तीन प्रमुख समितियों की नियुक्ति की जिसमें सरकारी और गैर–सरकारी तत्व समाविष्ट थे। प्रथम समिति को प्रान्त की सरकारी सेवाओं में फैले भ्रष्टाचार तथा उसके कारणों की जाँच करनी थी एवं उसे दूर करने हेतु प्रभावी उपायों की अनुशंसा करनी थी। सार्वजनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार के कारण ही दलितों और पिछड़ी जातियों की आर्थिक गुलामी छायी हुयी थी। दूसरी समिति को संथाल परगना के प्रशासन की जाँच करनी थी और उसमें ऐसे सुधार एवं परिवर्तन की अनुशंसा करनी थी जिससे आदिवासियों का कल्याण हो। तीसरी समिति को

*Corresponding Author: शैलेन्द्र कुमार

कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण पर विचार करना था। इन समितियों की अनुशंसाएँ कुछ मामलों में कार्यान्वित करने की कोशिश की गई। मंत्रिमंडल जिसे विधान सभा में प्रबल बहुमत था, ने प्रजातांत्रिक तरीके से काम करना प्रारम्भ किया। मंत्रिमंडल ने अल्पसंख्यकों के प्रति नीति एवं उनके अधिकार और अभिरुचियों की पूर्ण सुरक्षा की थी तथा श्री कृष्ण सिन्हा ने अनेक भाषणों में इस नीति की पुनरावृत्ति भी की थी। मुसलमान और अन्य अल्पसंख्यकों विशेष कर पिछड़े वर्गों की अनेकों आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया गया।

इस मंत्रिमंडल को बहुत–सी समस्याओं का प्रभावोत्पादक ढंग से समाधान करना था। इसका प्रमुख कार्य जमीन्दारी प्रथा का उन्मूलन था जिसके लिए किसान सभा के सदस्य अधिकाधिक प्रचारित किये थे। अछूतों, हरिजनों, पद्दलितों छोटे तथा सीमान्त किसानों के आर्थिक दशा का सुधार भी करना था। दक्षिण बिहार में इसके परिणाम का अनुभव किया गया जहाँ लगी हुई फसलें लूट ली गईं और खेती के मौसम में ही बकास्त जमीनों को जबर्दस्ती अधिकार में करने के लिए प्रयास किये गये। गया जिला, मुंगेर जिला का टाल क्षेत्र और पटना जिला के सीमावर्त्ती क्षेत्र इसके तूफानी केन्द्र बन गये। कांग्रेस और किसान सभा के बीच भिन्नता क्रमशः 1937 के अन्त तक विकसित होती गई। किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत काश्तकारी कानून के प्रति विरोध प्रकट किया। वस्तुतः काश्तकारी कानून किसानों के तात्कालिक कठिनाइयों को निवारण करने का बहुत बड़ा कारण था। इससे इन लोगों को बहुत राहत मिली। कांग्रेस के रूढ़िवादियों और किसानों के अनुयायियों के बीच संघर्ष हुआ। उसने सम्पत्ति के उन्मूलन पर प्रकाश डाला और कांग्रेस को वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी बतलाया। कालान्तर में दोनों के बीच संघर्ष बढ़ता गया, अछूत और पद्दलित लोग विभाजित हो गये। दलित और किसान लोग जिन्हें किसान आन्दोलन में विश्वास और भरोसा था वे किसान सभा से अलग होने लगे। परन्तु अछूत और पद्दलित लोग कांग्रेस से चिपके रहे।

मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बिहार काश्तकारी संशोधन विधान था। इसका उद्देश्य काश्तकारी व्यवस्था के अन्तर्गत उन्हें जो कठिनाइयाँ उठानी पड़ती थीं उनसे राहत दिलाना था। अछूत और पद्दलित वर्ग समेत लघु और सीमान्त किसान इसके सबसे बड़े शिकार थे। स्वभावतः जमीन्दार इसके आरम्भ से ही विरोधी थे। 13 सितम्बर, 1937 ई0 को पटना में उन्होंने इसके विरोध में एक सभा की जिसमें सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह की भी बात की गई। किन्तु जमीन्दारों और कांग्रेस के बीच एक समझौता के फलस्वरूप इस विधेयक के पारित होने में कोई कठिनाई नहीं हुई। समझौता मुख्यतः राजेन्द्र बाबू और मौलाना अबुल कलाम आजाद के प्रयत्नों से किया गया था। वे दोनों सामाजिक रोगों को मिटाने के लिए उत्सुक थे। उनके प्रयासों से अछूत और पद्दलित लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई।

प्रान्त साम्प्रदायिक कठिनाइयों से स्पष्टतः मुक्त नहीं था। दलित और पिछड़े वर्ग के लोग उससे बड़े उत्पीड़ित होते थे। प्रत्येक बड़े–बड़े धार्मिक उत्सव उनके कठिनाइयों के संकेत हो गये थे। पिछड़ी जाति के लोग ऐसे अवसरों पर शोषण के शिकार होते थे। कांग्रेस मंत्रिमंडल को साम्प्रदायिक कठिनाइयों से लोगों को मुक्त करने में अधिक अवधि एवं शक्ति लगानी पड़ी। गोड्डा, पटना के भूई, गया के देव, और मदनपुर क्षेत्रों में साम्प्रदायिक दंगे हुए। इन साम्प्रदायिक दंगों में अछूतों, हरिजनों और पद्दलितों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। साम्प्रदायिकता के तनाव को कम करने तथा अछूतों और पद्दलित वर्गों की सम्पत्ति और जीवन रक्षा करने में मंत्रिमंडल को बहुत–सी कठिनाइयाँ सहनी पड़ीं। बिहार में मंत्रिमंडल का प्रथम वर्ष श्रमिकों के बीच सामान्य अशान्ति का था। सिर्फ औद्योगिक श्रमिकों ने ही समस्याएँ पैदा नहीं की बल्कि हस्त श्रमिक भी जिसमें अछूत और पद्दलित वर्ग के लोग शामिल थे, ने शोषण के विरुद्ध आवाज उठायी, इस विरोध का कारण श्रमिक वर्गों में राजनैतिक नेताओं का प्रकट होना था। इन नेताओं ने श्रमिकों के वास्तविक कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवाजें उठायी। 1936 में पाँच की तुलना में 1937 में ग्यारह हड़तालें हुईं। मंत्रिमंडल ने औद्योगिक और खेतिहर दोनों प्रकार के मजदूरों की दशा सुधारने का प्रयास किया। इन लोगों की दशा की जाँच करने के लिए एक समिति का निर्माण हुआ। उनकी मजदूरी, काम के तरीके, रोजगार आदि को विकसित करने के लिए इस समिति को अनुशंसा करनी थी। इस समिति की अनुशंसा पर मंत्रिमंडल को मजदूरों के प्रमुख झगड़ों को निपटाने में आसानी हुई। जैसा कि ज्ञात है खेतिहर मजदूर, अछूत, हरिजन और पद्दलित वर्ग के लोग ही थे। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने उनकी आर्थिक दशा सुधारने और मजदूरी बढ़ाने के लिए अच्छे प्रयास किये।

*Corresponding Author: शैलेन्द्र कुमार

–: संदर्भ :–

1. स्वामी सहजानन्द, 'मेरे जीवन संघर्ष', ।
2. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, अगस्त पूर्वाद्ध 1935
3. बिहार एण्ड उड़ीसा इन 1935–1936, ।
4. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, 27 जुलाई और 13 अगस्त, 1935
5. दी इण्डियन नेशन, 20 अक्टूबर, 1935
6. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, 15 जून, 1935
7. भागलपुर आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, 15 जनू, 1935
8. दी इण्डियन नेशन, 25 नवम्बर, 1935
9. प्रसाद, राजेन्द्र, आत्मकथा,।
10. पुलिस रिपोर्ट, 15 जनवरी 1936 से 31 जनवरी 1936 तक
11. पटना आयुक्त की पाक्षिक रिपोर्ट, 13 जनवरी, 1936

*Corresponding Author: शैलेन्द्र कुमार